भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5402

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर देने के लिए

ओडिशा में विस्थापित लोग

†5402. श्री जुएल ओराम:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) जी, हां। ओडिशा सरकार द्वारा गठित पुनर्वास और परिधि विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएसी) द्वारा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) की परियोजनाओं से विस्थापित हुए ओडिशा के लोगों की समस्याओं की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में, भूमि अधिग्रहण, पेड़ों/फसलों और संरचनाओं के लिए प्रतिकार का मूल्यांकन भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के अनुसार किया जाता है और इसका भुगतान ग्रामीणों को कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957) के तहत एमसीएल के पास भूमि निहित करने के बाद किया जा रहा है।

(ख) से (ग): नालको में परियोजना गतिविधियों के कारण कुल 636 व्यक्ति विस्थापित हुए। जिनमें से 601 व्यक्ति दामनजोड़ी, कोरापुट जिले में विस्थापित हुए और 35 व्यक्ति अंगुल जिले में विस्थापित हुए। दामनजोड़ी में 601 भूमि विस्थापित व्यक्तियों (एलडीपी) में से 599 भूमि विस्थापित व्यक्तियों/उनके नामितों को नालको में नियोजित किया गया। शेष दो मामलों के संबंध में, हाल ही में चिह्नित एक मामले के लिए नामांकन जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया

जाना है और शेष एक मामले में उनके पारिवारिक विवाद के कारण नामांकित व्यक्ति को अंतिम रूप न देने के कारण जिला प्राधिकरण का निर्णय प्रतीक्षित है। अंगुल में 35 भूमि विस्थापित व्यक्तियों में से 34 भूमि विस्थापित व्यक्तियों/उनके नामितों को नालको में नियोजित किया गया, जबकि एक भूमि विस्थापित व्यक्ति ने रोजगार के बदले एकमुश्त नकद सहायता को प्राथमिकता दी। एमसीएल में अब तक 17,120 परिवारों को परियोजना विस्थापित परिवारों के रूप में चिह्नित किया गया है और 12,330 परिवारों को पुनर्वास लाभ दिया गया है। 12,330 परिवारों में से, 8,367 परिवार स्वीकृत पुनर्वास लाभ प्राप्त कर विस्थापित हो गये हैं।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दों की निगरानी और समीक्षा आरपीडीएसी द्वारा की जाती है और विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है। आरपीडीएसी ने व्यक्तिगत मामलों के निवारण के लिए स्थानीय माननीय सांसद, विधायक, कलेक्टर और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल और एमसीएल के सीजीएम/जीएम को मिलाकर उप-समितियों का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त, एमसीएल अब व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिए नियमित शिकायत निवारण बैठकें आयोजित कर रहा है।

******